मेसर्स जेम कोल बेनिफिकेशन एण्ड पॉवर प्रा. लि. ग्राम–खेदापाली, तहसील–धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित कोल बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 12.11.2010 का कार्यवाही विवरण

मेसर्स जेम कोल बेनिफिकेशन एण्ड पॉवर प्रा. लि. ग्राम–खेदापाली, तहसील–धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित कोल बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 12.11.2010 स्थान–शासकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम बांधापाली के सामने का मैदान, विकासखण्ड व तहसील धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई । लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धर्मजयगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई. ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 500 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 52 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीकांत सोनी, मुख्य महापंबंधक एवं श्री निर्मल नागपाल, पर्यावरण सलाहकार ने प्रस्तावित परियोजना से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 321 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. लोकनाथ, बांधापाली – मैं यह बोलता हूँ कि एस. ई. सी. एल. या कोई भी कंपनी अगर हमारी जमीन लेती है तो 1 करोड़ रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा दे, हम पैसा खाकर नहीं जीते हैं, हम अनाज खाकर जीते हैं। सब घूसखोर हैं, हमको आज दो रुपये में एक किलो चावल मिल रहा है।
2. सतनाम सिंह वाधवा, रायगढ़ – मेसर्स जेम कोल बेनिफिकेशन का जो बांधापाली में कोल वॉशरी खुल रहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।
3. राजेश गुप्ता, कोड़ेकेला – इस कोल वॉशरी का मैं समर्थन करता हूँ।
4. डोलनारायण पटेल, बोजिया – मेसर्स जेम कोल बेनिफिकेशन का मैं समर्थन करता हूँ।
5. केशव प्रसाद झरिया, बोजिया – मैं कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।

6. मोती कुमार सतनारम, जनपद सदस्य, छाल – मैं वर्तमान में इस कोल वॉशरी के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन यह कोल वॉशरी लगे इससे विकास होगा, लेकिन एस. ई. सी. एल. जैसा विनाश न करे, लोग जैसे इस कोल वॉशरी का सहयोग कर रहे है, उनका भी लोग सम्मान करें। उनके अरमानों का गला न घोंटें।
7. हनिफ खान, नवापारा – मैं कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
8. कृष्ण चंद पटेल, बांधापाली – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
9. विजय राठौर, अध्यक्ष, ट्रक यूनियन, छाल – मैं इस जेम कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
10. प्रेम पाण्डेय, चन्द्रशेखरपुर – मैं जेम कोल का समर्थन करता हूँ, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। स्कूल में बाउण्ड्री बनाये, पानी की व्यवस्था करे, मैं इसका समर्थन करता हूँ।
11. धरम सिंह राठिया, सरपंच, देहजरी – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
12. दिलीप कुमार, देहजरी – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
13. राजकुमार गौतम, नवापारा – मैं चाहता हूँ कि जो यह कंपनी खुल रही है, वह यहॉ के क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करें, इसी के साथ मैं इस का समर्थन करता हूँ।
14. तामस्कर सिंह राठिया, नवापारा – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
15. अनिल कुमार धीवर, नवापारा – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
16. बरातू अघरिया, नवापारा – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
17. रोहित गुप्ता, नवापारा – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
18. देवनारायण झरिया, बोजिया – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
19. छत्तरलाल साहू, भाजपा अध्यक्ष, छाल – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
20. सेवक राम पटेल, मण्डल कोषाध्यक्ष, छाल – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
21. राधेश्याम राठिया, चीतापाली – मैं समर्थन करता हूँ कि कंपनी बंद होना चाहिए।
22. बनवारी लाल राठिया, बांसाझार – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
23. आनंद कुमार अग्रवाल, छाल – सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऊर्जा का अपव्यय न हो जहॉ से कोयला निकले वहीं से वह क्रश हो वहीं से वॉश किया जाये, ताकि इसके परिवहन से अनावश्यक ईधन का अपव्यय होता है, आज जो कोयला का परिवहन होता है, जिससे प्रदूषण होता है, वॉशरी खुलती है, तो कोयला को वॉश किया जाता है और एक निश्चित आकार में क्रश किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जिस क्षेत्र में कोल माईन है, वहीं वॉशरी की स्थापना की जानी चाहिए , तो इस देश में न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं है इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोल वॉशरी में स्थानीय लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार दे। मैं बाहर से आये हुये विरोध करने वाले लोगों का विरोध करता हूँ। और चाहता हूँ कि स्थानीय लोग इस बात को समझें कि वॉशरी किस उद्देश्य से खोला जा रहा है इसके बाद स्थानीय लोग इसका समर्थन करें। जब कोल वॉशरी यहीं खुल जायेगा तो अपशिष्ट प्रदार्थ का यही अपार्जन हो जायेगा, इसलिये मैं यह चाहूँगा की जेम कोल स्थानीय मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दें, स्थानीय क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध करायें। मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
24. राधेश्याम सिदार, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।

25. आनंद कुमार राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
26. गजाधर प्रसाद केंवर्त, डभरा – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
27. धर्मेन्द्र यादव, एडू – फैक्ट्री खुलेगा तो हमकों नौकरी मिलेगा।
28. द्वरिका प्रसाद देवांगन, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
29. सहसराम, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
30. रामलाल, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
31. चमार सिंह राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
32. कन्हैया, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
33. घुरउ राठिया, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
34. अखिलेश कुमार, इलाहाबाद – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
35. लालसाय राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
36. मंगलू राम यादव, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
37. मोहित राम यादव, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
38. प्यारेलाल, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
39. राजू कुर्रे , एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
40. सियाराम राठिया, बर्रा – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
41. जीवन लाल राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
42. राजेश कुमार, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
43. मुरली मनोहर, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
44. तरुण कुमार, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
45. भोजराम, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
46. आनंद राम यादव, एडू – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूॅं।
47. कन्हैया, एडू –
48. बुधराम, एडू – समर्थन करने आया हूॅं।
49. फागूराम यादव, एडू – मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
50. गिरधारी, एडू – कंपनी को समर्थन है।
51. शौकी बाई, एडू – समर्थन करती हूॅं।
52. आशमति, एडू – समर्थन करती हूॅं।
53. तारामति, एडूकला – पेंशन नहीं मिल रहा हैं मैं 70 साल की हूॅं।
54. बहरतीन, एडूकला – पेंशन चाहिए नहीं मिल रहा है।
55. चम्पी पटेल, एडूकला – कंपनी को समर्थन करती हूॅं।
56. तीजमत बाई, एडूकला – हमको पेंशन नहीं मिल रहा है।
57. करामती, एडूकला – समर्थन है।
58. नोनी बाई, एडूकला – समर्थन करती हूॅं।
59. रमला, एडूकला – समर्थन करती हूॅं।
60. मेनका पटेल, एडूकला – मैं इस कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
61. कौशल्या, एडूकला – मैं इस कंपनी का समर्थन करती हूॅं।
62. ज्ञानमती, एडूकला – पेंशन चाहिए।
63. कुमारी शकुन्ता प्रधान, एडूकला – समर्थन करती हूॅं।
64. बूंदकुंवर,एडूकला – समर्थन करती हूॅं।
65. कुमारी सावित्री, एडूकला – समर्थन करती हूॅं।
66. तुलेश्वरी, एडूकला – कंपनी का समर्थन करती हूॅं।

67. पीलामती, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
68. इंदिरा बाई यादव, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
69. सनकुंवर, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
70. श्याम बाई, एड्डू –
71. ताराबाई यादव, एड्डूकला –
72. मेनबाई सिदार, एड्डूकला –
73. चरणमति, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
74. गंगाबाई सिदार, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
75. हराबाई, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
76. जानकी बाई, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
77. आसिन, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
78. नकेता बाई, एड्डूकला – कंपनी का समर्थन करती हूँ।
79. समय सिंह, एड्डूकला – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
80. माखनलाल , एड्डूकला – मैं इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
81. कार्तिकराम यादव, एड्डूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
82. एतवार सिंह यादव, एड्डूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
83. बृज कुमार राठिया, एड्डूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
84. चिंताराम प्रधान, एड्डूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ। कंपनी हमारा समर्थन करेगा कि नहीं अगर हमको बाद में निकाल देगा तो।
85. सुरेन्द्र पुरोहित, पंच, बोजिया – मैं मेसर्स जेम कोल बेनिफिकेशन एण्ड पॉवर प्लांट, ग्राम खेदापाली, तह. धर्मजयगढ़, जिला रायगढ़ के द्वारा प्रस्तावित कोल बेनिफिकेशन प्लांट के पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई आज दिनांक 12.11.2010 को होने जा रहा है इसका मैं विरोध करता हूँ। आज इस पॉवर प्लांट में आने वाले ग्रामों में से किसी में भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मैं 100–150 लड़कों के साथ इसका विरोध करता हूँ। कई पॉवर प्लांट आते हैं और मौका का फायदा उठाकर चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है वह ठगा जायेगा, किसी जनता से एग्रीमेंट नहीं किया गया है, आज हमको पता नहीं था, हम जन प्रतिनिधि है, हमको पता नहीं था तो जनता को कैसे पता चलेगा, यह आदिवासी क्षेत्र है यहॉ के भोले–भाले लोगों को बहला–फुसला कर ठगा जाता है, बांधापाली में जन सुनवाई है और बांधापाली का कोई आदमी आकर नहीं बोला है, यहॉ पर बांधापाली के लोग आकर नहीं बोले हैं, यहॉ पर धूल धक्कड़ है। रायगढ़ एरिया में आज 105 प्लांट खुल चुके हैं, कपड़ा सुखाते हैं तो उसमें काला हो जाता है, हमारा पर्यावरण धीरे–धीरे समाप्त होता जा रहा है, पानी की समस्या है। बांधापाली में गर्मी में पानी का टेंकर बुलाया जाता है, यहॉ प्लांट बैठेगा तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होगा, कोई पूछने वाला नहीं होता है, हर आदमी अपना काम निकाल कर चला जाता है। हमारा धर्मजयगढ़ एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, यहॉ एड्डूकला कहॉ से आ गया, वह 8–10 किमी. दूर है, बांधापाली, बोजिया के लोग नहीं आये हैं, वन रहेगा तो स्वच्छ हवा और बहुत कुछ मिलेगा। पूर्व में आदमी 105–110 साल जीता था, लेकिन आज 60–65 साल में सिमट जाता है, पैसा सब कुछ नहीं है। यंत्र लगाना तो खानापूर्ति होता है। मैं इसका विरोध करता हूँ। यह पॉवर प्लांट नहीं खुलना चाहिए।
86. सुरेन्द्र प्रसाद प्रधान, एड्डूकला – मेरा समर्थन है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और ऐसा हो कि जो भी अनुभव

वाला हो उनको रोजगार मिलना चाहिए। बाद में पहचानने से इंकार न कर दिया जाये।

87. टिकाराम पटेल, एडूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
88. बृजमोहन सिंह राजपूत, एडूकला – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
89. नील कुमार राठिया, एडूकला – इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
90. गंगाराम, एडूकला – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हॅ।
91. धनेश्वर सिदार, एडूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
92. दूजराम यादव, एडूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
93. विकास कुमार पटेल, एडूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
94. हृदय लाल पटेल, एडूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
95. मोती लाल यादव, एडूकला – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
96. मनोज कुमार चौहान, चन्द्रशेखरपुर – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
97. गोविंद कुमार, एडू – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
98. राघवेन्द्र तिवारी, एडू – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
99. सौरभ राठिया, एडूकला – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
100. पदुम लाल खड़िया, चन्द्रशेखरपुर – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
101. सतोष कुमार खड़िया, चन्द्रशेखरपुर – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
102. गौरी शंकर सिदार, एडू – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
103. हेम लाल खड़िया , एडू – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
104. महेत्तर कुमार निषाद, एडू – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
105. भवानी प्रसाद राठिया, एडू – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
106. लक्ष्मण सिंह ठाकुर, खेदापाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
107. संतोष कुमार वर्मा, खेदापाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
108. मुकेश कुमार, खेदापाली – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
109. गोरेखान, खेदापाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
110. भरत लाल पटेल, खेदापाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
111. हरिप्रसाद सिदार, एडूकला – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
112. तुलेश्वर प्रसाद सिदार, एडूकला – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
113. अहमद सिंह राठिया, एडूकला – इस कंपनी को धन्यवाद।
114. नारायण दास महंत, कटाईपाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
115. संतोष महंत, छाल – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
116. उमाशंकर जांगड़े, भाजपा महामंत्री, छाल – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
117. जहाज राम राठिया, कटाईपाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
118. निलाम्बर सिंह राठिया, छाल – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
119. नरेश कुमार राठिया, तरेकेला – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
120. महेत्तर सिंह राठिया, बांसाझार – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
121. प्रभाकर सिंह सिदार, एडूकला – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
122. जीवन लाल पटेल, एडूकला – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
123. सुरुती लाल, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
124. कपील प्रसाद, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
125. सुखराम राठिया, कटाईपाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
126. चैतराम, कटाईपाली – समर्थन करता हूँ।

127. सोभित कुमार, कटाईपाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
128. दशरथ सिंह राठिया,कटाईपाली – मुझे स्वीकार है।
129. प्रताप राम राठिया, कटाईपाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
130. दुखुराम, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
131. बल्देव राम राठिया, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
132. विद्याधर राठिया, कटाईपाली – समर्थन करता हूँ।
133. पवन कुमार राठिया, कटाईपाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
134. श्याम लाल, कटाईपाली – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
135. शम्भू डनसेना, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
136. मुकेश कुमार सारथी, देहजरी – इस कोल वॉशरी का समर्थन करता हूँ।
137. नंद कुमार पटेल, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
138. साहेब लाल पटेल, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
139. बनवारी लाल साहू, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
140. मोहन पटेल, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
141. वीर सिंह राठिया, देहजरी – मैं कंपनी को समर्थन करता हूँ।
142. उदय राम पटेल, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
143. महेश्वर कुमार यादव, चोढ़ा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
144. प्रदीप कुमार, चोढ़ा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
145. सुनील कुमार कश्यप, चोढ़ा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ। लेकिन कुछ बोलना चाहता हूँ, कंपनी के खुलने से बेरोजगारी में कमी आयेगी इसलिये मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
146. पिलाराम पटेल,उपसरपंच, खेदपाली – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
147. शहनी राम राठिया, खेदापाली – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ। लेकिन सभी आदमी को नौकरी देना चाहिए।
148. झरिया सिंह राठिया, खेदपाली – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
149. धनेश्वर यादव, खेदापाली – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
150. जलिन्धर सिंह राठिया, खेदापाली – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
151. रथराम यादव, खेदापाली – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
152. मनमोहन पटेल, खेदापाली – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
153. महेत्तर सिंह राठिया, खेदापाली – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
154. गोपाली यादव, खेदापाली – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
155. रतन सिंह कंवर, कोरकोमा – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
156. रोशर कुमार राठिया, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
157. अखिल कुमार कश्यप, चोढ़ा – इस क्षेत्र के लोगों को काम मिलना चाहिए, इधर रोड बनाया जाये और पेड़ न काटा जाये, पर्यावरण का ध्यान रखा जाये।
158. रमेश कश्यम, चोढ़ा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
159. लखन जुलाहा, चोढ़ा – आज हमारी छ.ग. की सबसे बड़ी कमजोरी अशिक्षा है, हर आदिमी यह सोचता है कि हमारे बच्चे भी कलेक्टर बने, लेकिन ऐसा गरीबी के कारण नहीं हो पाता, आज कोल वॉशरी के आने से सुविधाएं मिलेंगी, कोल वॉशरी के आने से प्रदूषण होगा, दुर्घटना बढ़ेगी इस पर ध्यान दिया जाये, हमको इस कोल वॉशरी को समर्थन करना चाहिए, हर आदमी यह सोचता है, कि फैक्ट्री के आने से हमें रोजगार मिलेगा लेकिन अशिक्षा के कारण रोजगार नहीं मिल पाता है। इस

कोल वॉशरी के आने से हमारी समस्या दूर होगी, इस गांव ,खेदापाली का नाम आज हर राज्य में इसका नाम जाना जायेगा, हम एक अच्छे नागरीक बनेंगे और हर आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकेगा, प्रदूषण का उपाय किया जाये।

160. ओम प्रकाश यादव, चोढ़ा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ। क्योंकि इस कंपनी के आने से आस–पास के गांव वालों को रोजगार मिलेगा।
161. राजू यादव, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
162. दशरथ राठिया, देहजरी – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
163. गुरुराम सारथी, देहजरी – समर्थन करता हूँ।
164. भूषण प्रसाद पटेल, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
165. मोहन लाल निषाद, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
166. कुसुम लाल सारथी, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
167. भूपेन्द्र कुमार साहू, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
168. नरेश कुमार, देहजरी – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
169. रथ लाल सारथी, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
170. मंगल पटेल, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
171. बनवारी लाल कश्यप, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
172. तीरथ सारथी, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
173. राहूल कुमार निराला, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
174. पवन कुमार साहू, देहजरी – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
175. राजकुमार पटेल, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
176. एतवारी लाल चौहान, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
177. मिलन सिंह, देहजरी – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
178. महेन्द्र पटेल, देहजरी – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
179. ललित कुमार सारथी, नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
180. आषीष कुमार सिंघल, नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
181. रेषमलाल पटेल, नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
182. गिरजा प्रसाद पटेल , नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
183. भीमसेन पटेल , ऐडुकला– कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
184. अभिषेक कुमार सिंघल, नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
185. मनोज कुमार राठिया, नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
186. गवेन्द्र सिंह राठिया, नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
187. हरिश कुमार चन्द्र, नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
188. ज्ञान सिंह राठिया, सिंगीझाप – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
189. मिथिलेश कुमार राठिया, नवापारा – कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
190. पंचराम, सिंगीझार – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
191. परमेश्वर कुमार राठिया, सिंगीझाप – मैं कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
192. उदय सिंह राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
193. मुरलीधर राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
194. भूनेश्वर राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
195. जयलाल राठिया, सिंगीझाप– मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
196. कन्हैया दास महंत, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।

197. दयाराम राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
198. पूरन सिंह राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
199. जनिराम राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
200. शनिराम राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
201. भारत लाल, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
202. उत्तम दास, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
203. लक्ष्मी नारायण, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
204. अंतराम, एडूकला – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
205. श्याम बाई, एडूकला – समर्थन करती हूॅं।
206. नंदनी यादव, एडूकला – समर्थन करती हूॅं।
207. सुनी सिदार, एडूकला – समर्थन करती हूॅं।
208. सावन सिंह, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
209. लिपेश्वर दास, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
210. चैतराम, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
211. मरवाड़ी राम राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
212. ललन साय, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
213. तेजसिंह, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
214. रामयण सिंह राठिया,सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
215. छबिलाल, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
216. जीवन लाल, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
217. श्याम कुमार राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
218. गौरीशंकर राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
219. हेमसागर राठिया, सिंगीझाप – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
220. वेदराम पटेल, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
221. सीताराम साहू, एडू – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
222. संजय कुमार यादव, खेदापाली – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं
223. नेपाल यादव, खेदापाली – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
224. विजय सिंह राठिया, खेदपाली – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
225. लूदूराम, खेदापाली – कंपनी का समर्थन करता हूॅं।
226. भारत लाल राठिया, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
227. अमरु सिंह राठिया, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
228. वीरसिंह, एडू – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
229. साधराम, एडू – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
230. देव प्रसाद राठिया, एडू – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
231. बालक राम राठिया, एडू – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
232. मूलचंद राठिया, एडू – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅं।
233. राजेश त्रिपाठी, जनचेतना, रायगढ़ – जो आज की जन सुनवाई हो रही है, वह केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 2006 के विपरीत की जा रही है क्योंकि केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जन सुनवाई आवेदन के 45 दिन के भीतर की जानी चाहिए, लेकिन आज 18 महिने बाद इस जन सुनवाई का आयोजन कराया जा रहा है, उन परिस्थितियों में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन कर जन सुनवाई कराया जाना था, इन

परिस्थितियों में यह जन सुनवाई अवैध हो जाती है। आज तक रायगढ़ क्षेत्र में जितनी जन सुनवाई हुई है, उनमें से सबसे फाल्स जानकारी इस कंपनी के ई. आई. ए. में जानकारी दी गई है, ई. आई. ए. में कही पॉवर प्लांट तो कहीं कोल वॉशरी के बारे में जानकारी दी गई है, अगर लोगों को यह जानकारी नहीं है कि यहॉ पॉवर प्लांट लगेगा या कोल वॉशरी तो यह गलत है। यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्तमान में 10–15 लोग हाथी से प्रभावित हुए हैं, लेकिन ई. आई. ए. में इसकी जानकारी नहीं दी गई है, इस ई आई. ए. में नील गाय और अन्य जानवरों के बारे में जानकारी दी गई है जो इस क्षेत्र में नहीं पाये जाते है। यह पूरा क्षेत्र अनूसूची 5 के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आदिवासी लोगों की जमीन को नहीं खरीद सकता और अगर खरीद भी ले तो उसका डायवर्सन 10 वर्ष तक नहीं लगाया जा सकता। इस ई. आई. ए. में कोल वॉशरी खेदापाली में लगेगी या बांधापाली में लगेगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 8 एकड़ जमीन खेदापाली में है, और कोल वॉशरी बांधापाली में लगाया जाना बताया गया है। केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जिन 200 एजेंसी का नाम चयन किया गया है। आज की यह जन सुनवाई की ई. आई. ए. बनाने वाली कंपनी का नाम उसमें नहीं है इसलिये यह जन सुनवाई अवैध हो जाती है। कल समाचार पत्रों में छपा था, कि आज तक उनको ई. आई. ए. नहीं दी गई है, गांव के सरपंचों को इस जन सुनवाई की जानकारी नहीं है, यह एक अवैधानिक कृत्य है। अगर ऐसी जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है जहॉ के 10 किलो मीटर के क्षेत्र में ई. आई. ए. का वितरण और प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। खेदापाली सरपंच का कहना है कि कंपनी के द्वारा घर बनाने और खेती करने हेतु हेतु जमीन क्रय किया गया है और आज वहॉ कोल वॉशरी का निर्माण किया जा रहा है। इनके उपर अपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। कंपनी के पास 8 एकड़ जमीन है, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक 33 प्रतिशत भूमि में इनको वृक्षारोपण करना है, जो कोयला आयेगा उसको रखने हेतु जमीन, धुले हुए कोयले को रखने हेतु जगह, फिर यह कोल वॉशरी कैसे चलेगी, शायद कन्वेयर बेल्ट से कोयला आयेगा और कन्वेयर बेल्ट से जायेगा, ई. आई. ए. में यह नहीं बताया गया है कि कोल वॉशरी में कोल को धोने के लिये पानी कहॉ से लाया जायेगा, ग्राउण्ड वॉटर का उपयोग केवल पीने के लिये किया जा सकता है यह सूप्रीम कोर्ट का निर्देश है। इनके द्वारा पानी की अनुमति का डाक्यूमेंट इनके ई. आई. ए. में नहीं लगा है। इस बात की भी जानकारी नहीं है कि यह पूरा कोल ब्लाक एरिया है, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार कोल ब्लाक के ऊपर कोई भी उद्योग नहीं लगाया जा सकता, फिर यह कोल वॉशरी कैसे लगाया जायेगा, यह भूमि पहले से एस. ई. सी. एल. को दिया गया है। उनको यहॉ से कोयला निकालने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में जो जमीन इनके पास है वह जमीन तो पहले ही एस. ई. सी. एल. को एलाट हो चुकी है उस जमीन पर कोल वॉशरी कैसे लगाया जा सकता है। इनके द्वारा ई. आइ. ए. में लिखा है, कि 300 लोगों को रोजगार दिया जायेगा, कोलवॉशरी में कोयला तो डम्फर से आयेगा, जेसीबी से लोड कर दिया जायेगा फिर कैसे ये 300 लोगों को रोजगार देंगे। क्या हाथ से कोल को धोया जायेगा। यहॉ जो इनके द्वारा जमीन लिया जा रहा है वो धोखा देकर लिया जा रहा है। टी. ओ. आर. के अनुसार ई. आई. ए. बनी है या नहीं अगर नहीं बनाया गया है तो यह जन सुनवाई नहीं कराया जा सकता। गांव के गामीणों के साथ

धोखा क्यों किया जा रहा है, पॉवर प्लांट लगेगा कि कोल वॉशरी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ग्राम पंचायत के अंदर एक तालाब है, अगर कंपनी ग्राउण्ड वॉटर का उपयोग करेगी तो इस गांव का ग्राउण्ड वॉटर लेबल गिरेगा, गांव मे ंपानी की समस्या होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कंपनी या सरकार। यह जो धर्मजयगढ़ क्षेत्र शांत क्षेत्र है वहॉ अशान्ति फैलेगा। पूरी ई. आई. ए. रिपोर्ट कट पेस्ट से बनाई गई है। लेकिन नकल करने के लिये अकल की जरुरत होती है। कोल वॉशरी के जन सुनवाई में पॉवर प्लांट की जानकारी दी गई है। जितनी जमीन कोल वॉशरी के लिये आवश्यक है उतनी जमीन की जानकारी नहीं है। कोल वॉशरी का जो गंदा पानी निकलेगा जो डस्ट निकलेगा, उससे टी. बी. , खाज, खुजली और अन्य बीमारी फैलेगा। आज की पूरी जन सुनवाई को देखते हुए, यह लगता है कि जन सुनवाई का कोई प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है, गांवों में ई. आई. ए. नहीं दिया गया है। आपके जमीन के डायवर्सन का कोई पत्र नहीं लगा है। अगर डायवर्सन के बिना कृषि जमीन पर निर्माण कार्य किया जाता है तो वह अपराध है। ऐसी जन सुनवाई का मैं पुरजोर विरोध करता हूॅ और अनुरोध करता हूॅ कि ऐसी जन सुनवई न कराई जाये और इनको पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जाये। अगर पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है तो हम अंत में न्यायालय में जायेंगे।

234. अनिता बाई, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कोल वाशरी का समर्थन करती हूॅ।
235. केवरा बाई, एडू – समर्थन करती हूॅ।
236. फूलमति राठिया, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कोल वाशरी का समर्थन करती हूॅ।
237. लीला, एडू – मैं इस कोल वाशरी का समर्थन करती हूॅ।
238. समारी, चन्द्रशेखरपुर – समर्थन करती हूॅ।
239. घसनीन बाई, एडू – समर्थन करती हूॅ।
240. तीलोबाई, एडू – समर्थन करती हूॅ।
241. वीरमती, एडू – समर्थन करती हूॅ।
242. रामवती, एडू – समर्थन करती हूॅ।
243. बरत कुंवर, एडू – समर्थन करती हूॅ।
244. लक्ष्मी बाई राठिया, एडू – समर्थन करती हूॅ।
245. रुपाबाई, एडू – मैं इस कोल वाशरी का समर्थन करती हूॅ।
246. मोंगरी बाई, एडू – मैं इस कोल वाशरी का समर्थन करती हूॅ।
247. लीलावती राठिया, एडू – समर्थन करती हूॅ।
248. फूलकुंवर राठिया, एडू – मैं इस कोल वाशरी का समर्थन करती हूॅ।
249. लेखराम, एडू – मैं इस कंपनी को समर्थन करता हूॅ।
250. पवन कुमार, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
251. उदय राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
252. जगत राम राठिया, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
253. नील कुमार राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
254. नंद कुमार राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
255. रुपेन्द्र कुमार राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
256. जयसिंह राम यादव, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
257. लोचन कुमार राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
258. धनेश्वर कुमार राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
259. रोहित कुमार राठिया, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।

260. जयंत बहिदार, संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – यह लोक सुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना 2006 के तहत् की जा रही है। उस अधिसूचना के अनुसार हमको लोक सुनवाई सम्पन्न करना है। उसी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक उपस्थित लोगों को कंपनी के प्रतिनिधि से सवाल पूछने का जानकारी जानने का अधिकारी है मैं आदरणीय पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि जो कंपनी के प्रतिनिधि है उनको बुलाया जाये और हमको प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान की जाये। क्योंकि प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है कानून का उल्लंघन हो रहा है इसलिये प्रश्न पूछना जरुरी है, इस लोक सुनवाई को यही निरस्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया है उसका उल्लंघन किया गया है। कंपनी ने अपने ई. आई. ए. में बताया है कि ग्राम खेदापाली को तहसील खरसिया में बताया है जबकि यह धर्मजयगढ़ तहसील में है। इनके द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी दी जा रही है, अगर कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया है तो जन सुनवाई पर रोक लगाई जा सकती है। आज की जन सुनवाई जेम कोल एण्ड पॉवर बेनिफिकेशन के लिये हो रहा है लेकिन इनके ई. आई. ए. में यह बताया गया है कि कोल की सप्लाई आर. आर. इनर्जी को की जायेगी क्या इनके पास उनको सप्लाई करने की अनुमति सरकार से ली गई है। झूठी जानकारी देने के कारण इस कंपनी को पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया लोक सुनवाई पर रोक लगाई जाये और लोक सुनवाई को निरस्त की जाये। कंपनी को पानी की आपूर्ति हेतु कोई अनुमति नहीं है, कंपनी ने बताया है कि भूमिगत जल ट्यूबवेल से लेने की बात बताई है, क्या कंपनी के पास भूमिगत जल लेने की अनुमति ली है। क्या यह प्रावधान है कि भूमिगत जल से कोल वॉशरी चलाया जा सकता है। सरकार के द्वारा भूमिगत जल का उद्योग हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती कंपनी के द्वारा खुलेआम लिखा गया है कि भूमिगत जल लिया जायेगा, 125 घन मीटर पानी लेगा और 95 घन मीटर गंदापानी छोड़ेगा, जो माण्ड नदी में मिलेगा। अगर इसके बाद भी इसको अनुमति दी जाती है तो हम न्यायालय में जायेंगे। प्रस्तावित उद्योग के लिये जो ई. आई. ए. बनाई गई है वह गलत है, टी. ओ. आर. का पालन नहीं किया गया है। उसके बाद भी जन सुनवाई कराई जा रही है। इसलिये इस जन सुनवाई पर रोक लगाई जाये। यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और पेशा कानून के अंतर्गत किसी भी उद्योग के निर्माण हेतु ग्रामसभा का अनापत्ति होना अनिवार्य है लेकिन ग्रामसभा से अनुमति नहीं ली गई है। सम्पूर्ण ग्रामसभा के द्वारा आपत्ति की जा रही है, उसके बाद भी जन सुनवाई कराई जा रही है। उद्योग के आवेदन के 45 दिन से ज्यादा दिन में कराया जा रहा है, यह भी आपत्ति दर्ज किया जाये। तमनार के कोल वॉशरी से जब पानी केलो नदी में जा रहा है तो इस कंपनी के पास ऐसी कौन सी तकनीक है जो गंदा पानी को रोक लेगा। इस प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी नहीं मिलना चाहिए, इस परियोजना पर गांववालों, किसानों की आपत्ति है, इस क्षेत्र के वनोपज और ग्रामीणों आदिवासियों के हित के लिये इस जन सुनवाई को यहीं निरस्त करने का अनुरोध करते हैं।

261. राजकुमार महर्षी , खेदापाली – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ। और हमारी छाल क्षेत्र में 7 कि.मी. की एरिया पर पानी,बिजली की सुविधा देनी चाहिए । ग्राम खेदापाली से 10 कदम की दुरी पर एक हेन्डपंम्प लगाया गया था। बोरिंग में कम्पनी एक हार्स पावर का मोटर लगा दे या ए.सी.सी.एल लगा दे।

262. उसतराम, खेदापाली – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।

263. दिगाम्बर प्रसाद , खेदापाली – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
264. नंद लाल , बांधापाली – दलालो के हाथ लग गया। पानी की कमी को पूरा करें।
265. पुनाईबाई, लात, – मेरी 7 एकड़ जमीन को एस.ई.सी.एल. फांस लिया । मेरो लड़के को नौकरी नही दिया है।
266. अमरबाई, बांधापाली – कंपनी से विरोध है।
267. धनकुंवर, बांधपाली – फैक्ट्री नहीं चाहिए।
268. सविता रथ, जन चेतना, रायगढ़ – मैं जेम कोल बेनिफिकेशन की जन सुनवाई का विरोध करती हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है ग्रामसभा का अनापत्ति नहीं लिया गया है, यहॉ पेशा एक्ट लगता है। यहॉ पर महिलाओं का विचार नहीं रखा गया है। इस जन सुनवाई को सिरे से निरस्त कर दिया जाना चाहिए, इन्होंने कहा है कि हम 300 लोगों को काम देंगे, क्या इनके द्वारा बाल्टी से कोयला धुलवाया जायेगा, अगर हमारे खेतों में पानी नहीं है तो सरकार को कोई लेना देना नहीं है, अगर उसी खेत में कोयला निकले तो उसे लोगों को दे दिया जाता है। महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए। यहॉ पर महिलाओं पर अत्याधार हो रहा है। हर समय यहॉ पर किसी भी तरीके से गांव के लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। किसी भी विस्थापन में महिलाओं को सबसे ज्यादा दुर्गती होती है, लेकिन उनके लिये कंपनी प्रबंधन के द्वारा ई. आई. ए. में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। मैं पुनः इस जन सुनवाई का विरोध करती हूँ। इस पेपर में लिखा है कि 10 किलो मीटर के क्षेत्र में खुलेगा इस प्लांट से 10 कदम दूर जो स्कूल है वहॉ के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गांव के तालाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो लोग इस जन सुनवाई के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको यहॉ से भगाया जा रहा है। उन आदिवासी महिलाओं का सम्मान करते हुए इस कोल वॉशरी के जन सुनवाई को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इस पेपर को मैं केन्द्र तक भेजना चाहती हूँ इस पेपर का पावती दिया जाये। इस कोल बेनिफिकेशन प्लांट और कोल वॉशरी का मैं विरोध करती हूँ।
269. लीलाबाई राठिया, सरपंच, चन्द्रशेखरपुर–एडू– मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करती हूँ।
270. लालजीत सिंह राठिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, छाल – हमारे आदिवासी अंचल में बांधापाली में आयोजित जेम कोल बेनिफिकेशन के जन सुनवाई में मैं अपना निम्नलिखित विचार रखता हूँ। आज रायगढ़ क्षेत्र का विकास हुआ है लेकिन हमें उसको बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है। हमारे इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष से कोल उत्खनन किया जा रहा है। हमको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन पालन नहीं किया जाता है। धुंआ और प्रदूषण के कारण लोग दमा और अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, अधिक वाहनों के आने से मार्ग पर दबाव पड़ रहा है। कंपनियों में बाहर के लोग कार्य करते हैं, जिनका अपराधिक रिकार्ड होता है। लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा, लेकिन बाहर से लोग बुलाया जाता है और स्थानीय लोगों को ठेकेदार के अंदर कम कराया जाता है और कम वेतन दिया जाता है। आज यहॉ के आदिवासी लोग वनोपज पर निर्भर है ऐसे में हमारे जिले के लोग पलायन हेतु मजबूर हो गये हैं, वर्षो से हमारे किसानों ने जिस जमीन को संरक्षित कर रखा था, लेकिन आज शासन के द्वारा उद्योगों को जमीन दे दिया जा रहा है, जब लोगों के द्वारा आवाज उठाया जाता है तो उसको आश्वासन देकर उनकी बातों को दबा दिया जाता है।

जिले में उद्योग स्थापना के विरोध में जन आक्रोश सुलग रहा है। हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी उद्योग या कोल वॉशरी स्थापित की जाती है तो हमारे क्षेत्र में एक निश्चित राशि हमारे क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाना चाहिए, स्थानीय युवाओं को सक्षम बनाने हेतु आई. टी. आई. में प्रशिक्षण दिया जाना होगा, दुर्घटना होने पर बीमा और पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए, उपरोक्त बातों को अमल में लाने के लिये एक समिति का गठन किया जाये। हमारे क्षेत्र में जो कोल वॉशरी स्थापित होना है वह हमारे ग्रामवासियों का उचित ध्यान रखें मैं इस कोल वॉशरी का विरोध करता हूँ।

271. चैतन्य कुमार , लोटान – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
272. शिव प्रसाद, लोटान – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
273. ओम चरण कमलवंशी, लोटान – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
274. चन्द्रपाल गौढ़, लोटान – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
275. जगपाल कमलवंशी, लोटान – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया जाये।
276. दिनेश महंत, लोटान – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
277. तेजेश्वर महंत, कटाईपाली – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
278. रोहित कुमार, कटाईपाली – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
279. दुजराम कमलवंशी, लोटान – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ। मेरे भाई लालजीत सिंह के बातों का समर्थन करता हूँ। उनके बातों पर विचार किया जाना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
280. बी. पी. जायसवाल, क्षेत्रीय पर्वेक्षण अधिकारी, एस. ई. सी. एल. रायगढ़ – जेम कोल बेनिफिकेशन पॉवर प्लांट जो कोल वॉशरी स्थापित की जा रही है उस पर एस. ई. सी. एल. ने आपत्ति दर्ज कर रही है। प्रस्तावित कोल बेनिफिकेशन प्लांट ग्राम बांधापाली के 222, 223, 226, 227 खसरा नं. में स्थापित हो रहा है, वह एस. ई. सी. एल. के कोल धारित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस ब्लाक का माईनिंग राईट एस. ई. सी. एल. को प्राप्त है। इसी ब्लाक में छाल भूमिगत खदान और धरम भूमिगत खदान संचालित है, भविष्य में छाल खुली खदान को विस्तार करने का प्रावधान है। इनके प्रस्तावित स्थल के नीचे हमारा भूमिगत खदान जिसके अंतर्गत इनका यह क्षेत्र है। यदि यह संयंत्र यहॉ स्थापित होता है। खदान में कार्यरत कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिये उक्त खसरा नं. पर कोई भी संयंत्र के निर्माण का एस. ई. सी. एल. विरोध करता है।
281. राधाबाई, खेदापाली – सलाह है, नौकरी चाहिए।
282. विमला बाई, बांधापाली – मेरे तीन लड़कों को नौकरी चाहिए, मेरे खेत में पानी चाहिए तब मैं इस काम को पूरा नहीं होने दूंगी।
283. उबासिन बाई, खेदापाली – समर्थन है।
284. सुनई, खेदापाली – मेरा कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, मुझे एक कमरा चाहिए।
285. नानकुन, पंच, बांधापाली – समर्थन है।
286. राजकुमारी, बांधापाली – विरोध है।
287. सतीश कुमार राजपूत, छाल – मै पूछना चाहूंगा क्या कोल वॉशरी लगने के बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा।
288. हरिप्रसाद पटेल, बांधापाली – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।

289. जनक राम राठिया, सरपंच, बोकरामुड़ा – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
290. वैंकटलाल, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
291. खेमचंद पटेल, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
292. पलेश्वर पटेल, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
293. उत्तरा कुमार राठिया, उप सरपंच, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
294. मिलपा सिंह, एडू – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
295. लखन राठिया, चन्द्रशेखरपुर – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
296. उमेश राठिया, चन्द्रशेखरपुर – हमको मूल सुविधा है वह मिलना चाहिए। मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
297. कमलेश पाण्डेय, छाल – क्या क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र के जो युवा हैं उनको पहले रोजगार दिया जाये। हमारे द्वारा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाता है। इसलिये कई गुना वृक्ष लगाये जाये जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके।
298. लालू ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि, छाल – आज की जो जन सुनवाई है। ग्राम बांधापाली की जनता क्या कर रही है, ग्राम बांधापाली की जनता कोल वॉशरी का समर्थन कर रहे हे। कुछ बाहर के आये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जब यहॉ स्थानीय लोग रोजगार की सुविधा तलाश कर रहे हैं, वहॉ बाहर के लोग आकर विरोध न करें। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करायें, इस क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिये बहुत सारे वृक्ष लगा दिये जायें। इस गांव के सभी लोगों ने समर्थन किया है। मैं अपनी क्षेत्र की जनता की भावनाओं के साथ हूॅ। कंपनी ग्राम बांधापाली को गोद ले ले। इस गांव में छोटी सी छोटी सुविधा उपलब्ध करायें। मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
299. स्वतंत्र कुमार मिश्र, छाल – युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, राष्ट्र का विकास युवाओं से होगा। अतः मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ। सभी को इसका लाभ मिले। धर्मजयगढ़ से खरसिया तहसील के बीच केवल एक स्कूल है, इस पर ध्यान दिया जाये, ब्वायस और गर्ल्स छात्रावास है जहॉ बहुत विद्यतु कटौती होती है, जिससे पढाई में असुविधा हो रहा है। उस पर ध्यान दिया जाये,विद्युत कटौती न की जाये।
300. अंकित केसरवानी, छाल – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
301. नारायण सिंह राठिया, बोकरामुड़ा – हमारे गांव में जो कोल वॉशरी खोला जा रहा है वे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये, बाहर के लोगों को बुलाकर रोजगार न दिया जाये। जहॉ कोल वॉशरी खुल रहा है उनका पालन पोषण किया जाये।
302. गंगा प्रसाद, छाल – हमारे स्थानीय ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिया जाये।
303. आकाश कुमार पैंकरा, छाल – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
304. दुवाल साय यादव, छाल – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
305. देवेन्द्र कुमार चौहान, छाल – मेरे भाईयों ने जो सवाल किये उसका पालन हो तब मैं कंपनी का समर्थन करता हूॅ। नहीं तो नहीं करता हूॅ।
306. गणेश राम, देहजरी – समर्थन करता हूॅ।
307. कार्तिक राम, देहजरी – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।
308. राममनहर, देहजरी – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूॅ।

309. गौतम, बांधापाली – आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग रोजगार दोगे।
310. चुन्नी लाल डनसेना, चन्द्रशेखरपुर एडू– मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
311. सोनकुंवर, पंच, बांधापाली – हमारे पारा में पानी नहीं है हमको बोर चाहिए, हमारे समस्या को दूर करें।
312. सूरज कुमार राठिया, बोकरामुड़ा – मेरा साढे 46 एकड़ जमीन है जिसमें से पौने तीन एकड़ जमीन मिल रहा है जो कंपनी खुल रहा है। मैं समर्थन करता हूँ। कंपनी मेरा जमीन लेगा तो मेरे को नौकरी मिलना चाहिए।
313. तुलाराम पटेल, देहजरी – इस कंपनी को समर्थन करता हूँ।
314. रामकुमार निषाद, देहजरी – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
315. संतुराम, देहजरी – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
316. बसंत पटेल, देहजरी – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
317. दामोदर पटेल, देहजरी – मैं इस कोल वॉशरी को समर्थन करता हूँ।
318. गिरधर श्रीवास, चन्द्रशेखरपुर – मैं जेम कोल का अपने तीस दोस्तों के साथ समर्थन करता हूँ।
319. रमेश अग्रवाल, जन चेतना, रायगढ़ – मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस जन सुनवाई का आयोजक कौन है, इसकी व्यवस्था किसने की है। मैं एक अपराध की सूचना अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को दे रहा हूँ। इस पंडाल में विद्युत की सप्लाई विद्युत के खंभे से हुक लगाकर की जा रही है, तत्काल इसका पंचनामा हो और जो भी इसका आयोजक है उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाकर सजा दिलाई जाये। यह जन सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए, यह जन सुनवाई निरस्त होगी ऐसा मेरा विश्वास है, सारे नियम कानूनों को ताक में रखकर यह जो अवैधानिक कार्य किया जा रहा है, जिसमें शासन प्रसाशन की मशीनरी, पुलिस विभाग, श्रम का दुरुपयोग किया जा रहा है, अगर उच्चधिकारियों द्वारा यह जन सुनवाई निरस्त की जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ई. आई. ए. रिपोर्ट में कहते हैं कि ग्राम खेदापाली, तहसील खरसिया में बताया है। फिर यह बैनर में जेम कोल बेनिफिकेशन ग्राम खेदापाली, तहसील धर्मजयगढ़ क्यों लिखा है। आपने यह बैनर गलत बनवाया है। जब एस. ई. सी. एल. ने आपत्ति किया है कि यह कोल धारित क्षेत्र है। उसके बाद भी जन सुनवाई कराई जा रही है। 2.12.2009 को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया था, कि कोई भी ऐसी ई. आई. ए. रिपोर्ट जो मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा नहीं बनाया गया हो वह स्वीकार्य नहीं होगा। उसके बाद 18.03.2009 को पुनः एक सर्कुलर जारी किया था, कि जिन लोगों ने अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है वे अपना रजिस्ट्रेषन करवा लें, अन्यथा उन्हें केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अथवा स्टेट इन्वायरमेंट असेसमेंट अर्थारिटी के समक्ष प्रजेंटेशन करने नहीं दिया जायेगा, जन सुनवाई की तारीख तय करने से पहले क्या यह जानकारी ली जानी चाहिए थी कि क्या ई. आई. ए. मान्यता प्राप्त कंसलटेट के द्वारा बनाया गया है अथवा नहीं। यह जवाबदारी पर्यावरण विभाग की बनती थी, कि क्या कंसलटेंट ने अनुमति हेतु एप्लाई किया भी है या नहीं। अगर ऐसा किया गया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आता । जब ई. आई. ए. ही मान्यता प्राप्त नहीं है तो जन सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद 1 नवंबर 2010 को पर्यावरण मंत्रालय ने 1 लिस्ट जारी किया जिसमें 265 लोगों को ई. आई. ए. बनाने का अधिकार है। इसकी सूची आपके पास भी आई होगी। मेसर्स द् केयर का नाम उस लिस्ट में नहीं है। ई. आई. ए. नोटिफिकेशन के

सेड्यूल 4 के एक भी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। ई. आई. ए. नोटिफिकेशन में कही भी यह प्रावधान नहीं है कि जन सुनवाई की तिथि और स्थान का निर्धारण कलेक्टर के द्वारा किया जाये, उसका निर्धारण केवल सदस्य सचिव के द्वारा किया जाना था, कलेक्टर महोदय ने केवल डेट फायनल किया है। स्थल का चयन किसने किया ? क्या वह सक्षम था ? किसने यह स्थान उचित पाते हुए निर्धारित किया, इस बात की जानकारी आपके रिकार्ड में नहीं है। मेरा यह आपत्ति है। उद्योग के कहने पर यह किया गया हो ऐसा भी हो सकता है। आवेदन के 45 दिन के भीतर जन सुनवाई हो जानी चाहिए, परियोजना प्रस्तावक ने 18.05.2009 को आपके समक्ष इस प्रस्तावित परियोजना की जन सुनवाई हेतु आवेदन कर दिया गया था, आपका विभाग 18 महिने तक कुभकर्ण की नींद सोता रहा। 18 महिने तक आपने इसकी जन सुनवाई क्यों नहीं करवाई ? आपने उद्योग को भी प्रताड़ित किया है, अगर आपने पहले जन सुनवाई करा दी होती तो आज यह कोल वॉशरी चालू हो गई होती। उद्योग कोल वॉशरी लगाना कहॉ चाहते हैं, खेदापाली में या बांधापाली में ई. आई. ए. में खेदापाली में बताते हैं, जमीन जो बता रहे हैं वो बांधापाली में है, जो जीयो कार्डेनेट दिये हैं वो बांधापाली के हैं। खेदापाली और बांधापाली में सवा से डेढ़ किलो मीटर का अंतर है फिर यह साईट में डुप्लीकेसी किस लिये हैं। हमें चिन्हांकित कर उस जमीन की जानकारी दे, जहॉ उद्योग लगेगा, वह खसरा नं. जिसकी जानकारी दी गई है वह खेदापाली में है या नहीं इसकी जानकारी दी जाये। चेंज ऑफ साईट के कारण टी. ओ. आर. रिजेक्ट हो सकता है। तथ्यों को छुपाने के कारण इनका आवेदन ही रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर मैं गलत हूँ तो माफी मांगने को तैयार हूँ और अगर वे गलत हैं तो अपना ई. आई. ए. वापस ले लें। ई. आई. ए. को देखने से यह लगता है कि यह ई. आई. ए. कोल वॉशरी के लिये बना है या पॉवर प्लांट के लिये। यह जो ई. आई. ए. रिपोर्ट कोल वॉशरी के लिये बना कर दी है, संजोग से एक और ई. आई. ए. जो के. एल. इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन के लिये बनाई गई है। उससे पेज बाई पेज. चेप्टर बाई चेप्टर वहीं जानकारी दी गई है। केवल उसके पॉवर प्लांट से रिलेटेड जानकारी को डिलीट कर दिया गया है। दोनों ई. आई. ए. का फ्रंट पेज आप देखिये उसमें ग्राम देहजरी, तहसील खरसिया लिखा है उसी में ग्राम को तो बांधापाली कर दिया गया है लेकिन तहसील को बदलना भूल गये हैं। इनके प्रोजेक्ट की दूरी खरसिया से 15 कि.मी. दूर है या 18 कि.मी. कहीं 15 और कहीं 18 बताया गया है और रायगढ़ की दूरी 35 कि. मी. बताया गया है मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहॉ से 50 कि. मी. है, अगर एरियल दूरी बता रहे हैं तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। रॉ वॉटर सप्लाई फॉर कोल बेनिफिकेशन एवं पॉवर प्लांट लिखा गया है यह कट पेस्ट किया गया है। सेड्यूल एरिया की बात आ गई है, धर्मजयगढ़ क्षेत्र सेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है जहॉ भूमि का डायवर्सन 10 वर्ष तक नहीं किया जा सकता है। उद्योग के पास जो जमीन है क्या उसका डायवर्सन हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो क्या 10 वर्ष बाद उद्योग लगाया जायेगा। इस कोल वॉशरी का आधार कोयला है, वो कोयले का लीकेज बालको से होना बताया है, यह पत्र ही मुझे संदेहास्पद लगता है क्योंकि उस पत्र में संख्या नहीं है। उसमें इन्होंने 15.04. को आवेदन किया और उसके द्वारा 15.04 को ही इनको अनुमति दे दिया गया है। बालको के द्वारा किस खदान से इनको कोल उपलब्ध कराया जायेगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कोल फाईन्स और कोल रिजेक्ट को आर.

आर. इनर्जी को देने की बात है, उसमें आर. आर. इनर्जी का एक पत्र लगा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको 1000 मिलियन टन प्रतिदिन कोल फाईन्स की आवश्यकता होगी। इनकी क्षमता 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है और आवश्यकता 1000 मिलियन टन प्रतिदिन बताया गया है। हाथी कारीडोर की बात आ गई है। इस परियोजना की जन सुनवाई के लिये स्वयं कलेक्टर के द्वारा प्रस्ताव वापस कर दिया गया था। आपने यह लिखा है कि चूंकि यह कोल धारित क्षेत्र है इसलिये इस क्षेत्र के 25 किलो मीटर के क्षेत्र में कोल का भण्डारण नहीं किया जा सकता। अपर जिला दण्डाधिकारी के द्वारा इसके लिये एक पत्र भी लिखा गया है और जन सुनवाई का प्रस्ताव वापस कर दिया गया था। कलेक्टर ने अपने ही डिसीजन को बदल कर जन सुनवाई करा दी गई। इन्होंने नियरेस्ट एयरपोर्ट बिलासपुर बताया है बिलासपुर में कौन सा एयरपोर्ट है और कौन–कौन सी नियमित उड़ाने उड़ती है, इसकी जानकारी मुझे दी जाये।

320. बाबूलाल राठिया, पंच, पुसल्दा – मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।

321. रामसिंह राठिया, सरपंच, खेदापाली – इस कोल वॉशरी के आने से हमें प्रसन्नता हो रहा है गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिले, मेरे पंचायत के सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग कंपनी प्रतिनिधि श्री अनुराग श्रीवास्तव, ई. आई. ए. कंसलटेंट एवं कंपनी प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत सोनी, मुख्य महाप्रबंधक ने परियोजना से होने वाले होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 5.30 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(जे. लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)